

(97) प्रजापति (कुम्हार)	(103) बक्खो (मुस्लिम)	(108) सैकलगर (सिकलगर)
(98) रईन या कुंजर (मुस्लिम)	(104) अदरखी	(मुस्लिम) गति
(99) सोयर	(105) छीपी	(109) रंगरेज
(100) ठकुराई (मुस्लिम)	(106) तिली	(110) सिदुरिया बनिया
(101) नागर	(107) इदरीसी या दर्जी	(111) मुकेरी (मुस्लिम)
(102) शेरशाहबादी	(मुस्लिम)	

नोट : उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिये जैसे—तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली ।

1. बिहार अधिनियम—7, 1994 द्वारा अनुसूची-1 के क्रमांक—14, 20, 54, 59 एवं 74 अंक, कोष्ठक एवं शब्द विलोपित ।
2. संकल्प संख्या 178, दिनांक 18-12-1995 द्वारा अनुसूची 1 में क्रमांक 100 पर ठकुराई (मुस्लिम) अंकित किया गया ।
3. बिहार अधिनियम 6, 1996 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 94 के बाद 95 से 99 तक अंक, कोष्ठक एवं शब्द जोड़ा गया ।
4. संकल्प संख्या 135, दिनांक 4-9-1996 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 101 पर "नागर" एवं क्रमांक 102 पर "शेरशाहबादी" अंकित किया गया ।
5. संकल्प संख्या 183, दिनांक 27-11-1996 द्वारा अनुसूची 1 में क्रमांक 103 पर बक्खो (मुस्लिम) क्रमांक 104 पर "अदरखी" एवं क्रमांक 105 पर "छीपी" अंकित किया गया ।
6. संकल्प संख्या 110, दिनांक 24-7-1997 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 6 पर अंकित कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर को विलोपित कर कुर्मी (महतो) झारखण्ड स्वराज्यी क्षेत्र प्रतिस्थापित ।
7. संकल्प संख्या 109, दिनांक 24-7-1997 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 106 पर तिली जाति अंकित ।
8. संकल्प संख्या 165, दिनांक 20-12-1997 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 108 सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) अंकित ।
9. संकल्प संख्या 34, दिनांक 17-3-1998 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 107 इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) अंकित ।
10. संकल्प संख्या 211, दिनांक 10-4-2001 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 109 रंगरेज (मुस्लिम) सम्मिलित ।
11. संकल्प संख्या 673, दिनांक 23-11-2001 द्वारा अनुसूची 1 के क्रमांक 111 मुकेरी (मुस्लिम) समावेश ।
12. संकल्प संख्या 129, दिनांक 2-4-2002 द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 110 पर सिदुरिया बनिया जाति जोड़ा गया ।